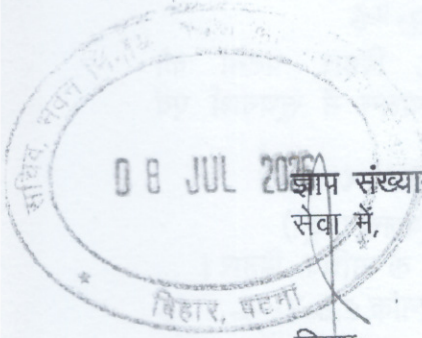


3.6/3.5/1.7.17



बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक-06.7.26

सेवा में,

विषय:-

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०-34,33,26,000/- (चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज (सिवान) में प्रस्तावित 10 कोर्ट भवन (G+5), एमिनिटी भवन (G+4) एवं हाजत भवन (G+1) के निर्माण कार्य हेतु रु०-34,33,26,000/- (चौतीस करोड़ तैतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र के प्राक्कलन में मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60% केन्द्रांश तथा 40% राज्यांश का प्रावधान है।
- केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि का विकलन 60:40 में मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-051-उपशीर्ष-0220-ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा का विकास में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड-03-4059800510220 है।
- राशि की निकासी केन्द्र प्रायोजित योजना Infrastructure Facilities for Judiciary (9174) के लिए SNA SPARSH के तहत RBI, Patna में खोले गये आहरण खाता संख्या-01585501145 (IFSC कोड-RBIS0CSSP01) के माध्यम से की जायेगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
(24/टि०, दिनांक-08.06.2026 सं०सं०-जी०/यो०-31-201/2024)
- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
(28/टि०, दिनांक-24.06.2026 सं०सं०-जी०/यो०-31-201/2024)
- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(30/टि०, दिनांक-02.07.2026 सं०सं०-जी०/यो०-31-201/2024)
- स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-201/2024/5235/जे०, पटना, दिनांक-06.7.26

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

कृ०पृ०30